सेवा में,

श्री वसी अहमद
सलाहकार, ( बी एंड सीएस )
दूरसंचार विनियामक, प्राधिकरण,
दूरसंचार भवन, नई दिल्ली-110002

विषयः प्रसारकों से प्लेटफार्म ऑपरेटरों पर टीवी चैनलों के वितरण

महोदय,

ट्राई द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी किये गये परामर्श पत्र पर मेरा निम्न सुझाव है :

1. पहली बार नियामक ने एक बेहतर परामर्श पत्र जारी किया है, इसे डिजिटलीकरण की शुरूआत से पहले ही आ जाना चाहिए था। खैर, देर आये, लेकिन दुरुस्त आये।

2. इस परामर्श पत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की बात नही की गई है। जैसे प्रसारकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने चैनलों की अ-ला-कार्टे व बुके रेट को भी अपने वेबसाईट एवं ट्राई की वेबसाईट पर डालें।

3. आज उपभोक्ताओं को रेट के लिए एमएसओ पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि उन्हें रेट लिस्ट को पर्चे छपवाकर या लोकल न्यूजपेपर में प्रकाशित करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पता चल सके कि अमुक चैनल की रेट क्या है? ताकि जो व्यक्ति अपने लिए चैनलों का चयन कर बुके बनाता है तो उसे पता होता है कि उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा।

4. सभी एमएसओ एक साथ मिलकर, अपने एलसीओ के साथ बाजार में मोनोपोली कर लेते है, इस पर रोक लगाई जाए।

5. वर्तमान में मौजूद कंटेट एग्रेगेटर की बुके देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि जो एजेंट किसी प्रसारक का अपना होता है वह अपने चैनलों को पोपुलर बुके में डालता है तथा प्रतिद्वंदी के चैनलों को कम पोपुलर बुके में डालता है। इस पर ट्राई क्या कर रही है?

6. आज भी उपभोक्ताओं से कॉफ फार्म नहीं भरवाए जा रहे है और आपरेटर कहता है कि आपका फार्म हमनें जमा कर दिया। क्या ट्राई ऐसे एलसीओ/एमएसओ पर सख्ती करेगी।

7. आज भी देश में सबों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रसारक, अपने चैनलों की अ-ला-कार्टे दर को अखबारों या टीवी पर प्रचारित करें ताकि उपभोक्ता अपने पसंद का बुके बना सके।

8. ट्राई ने कहा था कि 100 रूपये में एफटीए चैनलों का बुके मिलेगा, लेकिन किसी भी बड़े एमएसओ ने एफटीए चैनलों के पैकेज को अपने वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया है? क्या इस पर ट्राई कोई सख्त कदम उठाएगी।

9. जब कैस को वर्ष 2003 में लागू किया गया तो उन एरिया में पे-चैनलों की दर 5. 35 रूपये प्रति चैनल/प्रति माह निर्धारित की गई तो वही फार्मूला डैस इलाके के लिए क्यों नही अपनाया गया, ताकि देश भर के उपभोक्ताओं को इससे फायदा मिलता।

10. अगर पाकिस्तान, बंग्लादेश में एक रूपये प्रति चैनल प्रति माह उपलब्ध है तो फिर भारत जैसे विशाल देश में यह दर क्यों नही लागू किया जाता।

11. सभी प्रसारक अपने वेबसाईट पर अपने पे-चैनलों की अ-ला-कार्टे दर को प्रमुखता से अपने होम पेज पर प्रकाशित करें ताकि उपभोक्ताओं को अधिक समय व्यर्थ न करना पड़े।

धन्यवाद,

भवदीय

मिहिर कुमार

WZ-305A, पालम गांव

नई दिल्ली-110045